संख्याः 641 / 18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 6 अगस्त, 2005

विषयः नवसृजित तहसील पाटी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1610/नव्म–भवन/रा0स0/2004–05 दिनांक 21 जुलाई, 2005 के सन्दर्भ में एंव शासनादेश संख्या–821/18(1)/2004 दिनांक 2 नवम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित तहसील पाटी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा पुनः परीक्षण के उपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई आवासीय भवन की रु0 55.26 लाख व अनावासीय भवन की रु0 96.08 लाख अर्थात कुल रु0 151.34 लाख की लागत की संशोधित प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रु0 101.34 लाख के विपरीत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एंव शासन के अन्य तद्विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का होगा।

4– स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी द्वारा आहरित करके शीघ्र निर्माण इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2006 तक पूर्ण उपयोग कर कृत कार्य की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

....(2)

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 2 समान किश्तों में कोषागार से आहरण किया जायेगा और प्रथम किश्त के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही दूसरी किश्त का आहरण किया जायेगा।

6– प्रश्नगत धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रथम भाग में प्रत्येक दशा में अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1708/XVIII(3)/2005 दिनांक 21 सितम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमती से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, चम्पावत।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
4– अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5– अपर सचिव, नियोजना विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
7– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, चम्पावत।
8– वित्त अनुभाग–3
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।